9/1/18.

पत्रावली पेश हुयी। वादी की तरफ से श्री बहादुर राम सुथार एड० द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया जावे। वादी स्वयं उपस्थित। वादी द्वारा दावा विड्रा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया जावे। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी वादी व प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन आपसी सहमति से कर लिया है अब दावा चलाने का कोई महत्व नहीं है। प्रार्थी वादी लोक अदालत की भावना से दावा विड्रा करना चाहता है। वादी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अपना आधार कार्ड, जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न की गयी है व प्रार्थी की पहचान उनके वकील श्री बहादुर राम सुथार एड० द्वारा की गयी है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व दावा जरिये विड्रा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।